संख्या : 207 सी.एम./26–3–2018

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक: २५ जनवरी, 2019

विषय : धनगर (DHANGAR) जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु स्पष्टीकरण आदेश **(Clarification order)**।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धनगर जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए शासनादेश सं0 1654/26–3–2013, दिनांक 24.10.2013, पत्र सं0 222/2016/5506/26–3–2016–25 रिट 2010 दिनांक 16.12.2016, पत्र सं0 104/2017/136 मंत्री/26–3–2017 दिनांक 30.06.2017, पत्र सं0 283 भा०स०/26–3–2017–25 रिट/2010 दिनांक 26.09.2017, पत्र सं0–146मु0स0/26–3–2017–253रिट/2010 दिनांक 12.10.2017 एवं पत्र सं0–453/26–3–2018 दिनांक 07.02.2018, निर्गत किये गये है। मा0 मुख्यमंत्री जी को ऑल इण्डिया धनगर समाज महासंघ (पंजी0सं0 S/W/2013/8901044) एवं जनप्रतिनिधियों ने अवगत कराया है कि उक्त निर्देशों के उपरान्त भी गडरिया समुदाय की उपजाति धनगर (Dhangar) के व्यक्तियों को सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक जारी नहीं किये जा रहे है। सक्षम अधिकारी धनगर जाति के आवेदन पत्रों को गडेरिया (अन्य पिछड़ा वर्ग) अथवा उपजाति के आधार पर अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र निर्गत नही किया जाता है अथवा धनगर जाति सम्बन्धित तहसील/जिला में नही रहती है इत्यादि कहकर निरस्त कर देते हैं। यह उचित नहीं है।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद–341 में प्रदत्त प्रावधान के अन्तर्गत संविधान (अनुसूचित जातियॉ) आदेश 1950 के उपबन्धों के अधीन जातियॉ, उपजातियॉ या जनजातियॉ (Castes, Races or Tribes) या उनका कोई भाग या समूह (or parts of or groups) जो कि इस आदेश में वर्णित तथा राज्य विशेष से सम्बन्धित अनुसूची (भाग 1 से 16 तक) में है, को इस आदेश के अधीन उनके स्थायी या क्षेत्रीय निवास के

आधार पर उस जाति, उपजाति या जनजाति के सदस्यों को' अनुसूचित जाति' का सदस्य समझा जाएगा। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियॉ, अनुसूचित जनजातियॉ व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा–9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश सं0–22/16/92–का–2/1996 टी0सी0–।।। कार्मिक अनुभाग–2 दिनांक 05 जनवरी 1996 में अभ्यर्थी की जाति, उपजाति, जनजाति, जनजातीय समुदाय या जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग के आधार पर अभ्यर्थी के मूल निवास से स्थलीय–पूछताछ/जॉच–पड़ताल करके जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का आदेश पारित किया गया है।

3. सिविल रिट याचिका सं0–40462/2009–आल इण्डिया धनगर समाज महासंघ व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 14.03.2012 के पारित निर्णय में गड़रिया जाति की दो उपजातियॉ–धनगर (Dhangar) एवं नीखर (Nikhar) वर्गीकृत है इन दोनों उपजातियों के बीच रोटी–बेटी एवं हुक्का–पानी के सम्बन्ध नहीं रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–341 के अन्तर्गत निर्गत "संविधान (अनुसूचित जातियॉ) आदेश 1950" (यथासंशोधित) में (भाग–8) उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत क्रमांक 27 पर **Dhangar** (धनगर) समस्त राज्य (**Throughout the state**) में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित है। यह जाति उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जनपदों में निवासरत है। शासन के संज्ञान में आया है कि धनगर जाति के व्यक्ति सामाजिक हीन भावना के कारण अपने नाम के साथ 'पाल' और 'बघेल' उपनाम (**surname**) लगाते है। अतएव धनगर जाति के व्यक्तियों को उपनाम लगाने के आधार पर अनुसूचित जाति के अधिकारों से वंचित नही किया जा सकता है।

4. उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियॉ, अनुसूचित जनजातियॉ व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा–9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं महाधिवक्ता की विधिक राय से शासन ने निर्णय लिया है कि अशिक्षा एवं अज्ञानतावश पूर्व में जिन धनगर जाति के व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्यों के किन्ही अभिलेखों में धनगर जाति के स्थान पर संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत गडेरिया आदि अंकित हो गया है और विभिन्न परिस्थितियों में उनको गड़ेरिया–अन्य पिछड़ा वर्ग का त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण–पत्र निर्गत हो गया है तो उसे धनगर अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र निर्गत न करने का आधार न माना जाय बल्कि उक्त त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण पत्र को निरस्त/निष्प्रभावी मानते हुए गड़रिया जाति में वर्गीकरण– (धनगर एवं नीखर) के आधार पर आवेदक के मूल निवास स्थान के आस–पास के निर्विवादित परिवारों से स्थलीय–पूछताछ/जॉच–पड़ताल कर सक्षम अधिकारी यह अवश्य सुनिश्चित कर ले कि आवेदक धनगर उपजाति का है अथवा नीखर का। यदि आवेदक धनगर उपजाति का है तो उसे धनगर अनुसूचित जाति का ही जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाय।

5. यदि किसी जिला/तहसील में जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले सक्षम अधिकारियों को धनगर उपजाति (व्यक्तियों के समूह) की पहचान करने में कठिनाई हो, तो धनगर एवं नीखर उपजातियों के बीच शादी सम्बन्धों (रोटी–बेटी एवं हुक्का–पानी) के आधार पर स्थलीय जाँच पड़ताल कर धनगर उपजाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें। इन स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी यदि धनगर जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने में अनावश्यक रूप से विलम्ब किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आयेंगे तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार भली–भांति पूछतांछ/जाँच पड़ताल कर धनगर जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–207(1)/26–3–2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
4– अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग।
5– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उ0प्र0।
6– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
7– अध्यक्ष/सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
8– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि विभाग उ0प्र0।
9– निदेशक, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग, उ0प्र0/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0।
10– निदेशक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
11– निदेशक, प्रशिक्षण, श्रम एवं सेवायोजन, उ0प्र0 प्रशासनिक अकादमी लखनऊ।
12– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13– रजिस्ट्रार, प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों।
14– गार्ड फाइल।

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।